

न्यायालय :: श्री दीपक कुमार, प्रधान जिला न्यायाधीश, शिवहर

**Probate Case No. 07/2023**

(C.N.R No. BRSO01-004283-2023)

राजीव गोयल .....आवेदक

बनाम्

मुरलीधर गोलवारा उर्फ मुरलीधर उर्फ मुंशी प्रसाद व अन्य .....विपक्षी

उपस्थित :- श्री दीपक कुमार,  
प्रधान जिला न्यायाधीश,  
शिवहर।  
09.07.2026

**आदेश**

दिनांक—  
**09.07.2026**

आवेदक की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से वकालतन हाजिरी दी गई।

वाद पुकारा गया।

बार—बार पुकार पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अभिलेख का परिशिलन किया। अभिलेख सुनवाई हेतु लंबित है। आवेदक की ओर से विगत कई तिथि से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। आवेदक को विगत कई तिथियों से सक्षम पैरवी करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया परन्तु आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः वाद आवेदक के समुचित पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

ह0 / —

प्रधान जिला न्यायाधीश,  
शिवहर।

09.07.2026